

राजस्थान-सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227033, 2227725)

क्रमांक फ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210-21 / 6332-40

जयपुर, दिनांक 11/02/22

कार्यालय आदेश

(आदेश संख्या 85/2022)

विषय:- वर्ष 2019-20 की शेष बची समस्त ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराने बाबत।

नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: क्रमांक एफ.61(64)SSAAT / कलैण्डर / 20210-21 / 6236-57 दिनांक 09.02.2022 एवं समसंख्या आदेश क्रमांक: 6267-87 दिनांक 10.02.2022 द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं और वर्ष 2019-20 में नियमित सामाजिक अंकेक्षण होने से बकाया रही प्रत्येक पंचायत समिति में से दो ग्राम पंचायतों के लिए जारी किये गये कलैण्डर्स नरेगा सोफ्ट पर अपलोड किये गये हैं।

वर्ष 2019-20 में उक्त आदेशों के अन्तर्गत जारी कलैण्डर्स के बाद नियमित सामाजिक अंकेक्षण होने से बकाया रही समस्त जिलो की समस्त पंचायत समितियों की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों के लिए नियमित सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर्स माह मार्च, 2022 के तृतीय सप्ताह के लिए जारी करवाये जाकर MORD, GOI के नरेगा सोफ्ट पोर्टल पर दिनांक 15.2.2022 से पूर्व अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें। इसके लिए आवश्यकतानुसार दिनांक 12-13 फरवरी, 2022 को राजपत्रित अवकाश के दिन कार्यालय खोलकर कार्य सम्पादन किया जावें।



(रामावतार शर्मा)
निदेशक,


सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

जयपुर, दिनांक : 11/02/22

क्रमांक फ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210-21 / 6333-40
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।

5. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक/लेखाधिकारी, (प्रशासन)/लेखाधिकारी (सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
7. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग
9. रक्षित पत्रावली।


(दुर्गाप्रसाद दायमा)
उप निदेशक,